

जतरा मैदान बनहोरा में जिला स्तरीय कृषि कर्म शाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम

झारखंड के किसान मालिक बनें, मजदूर नहीं : कृषि मंत्री

खबर मन्त्र ब्यूरो

रांची। झारखंड के किसान मजदूर नहीं, बल्कि मालिक हैं। राज्य के खेतिहर किसानों को अपनी भूमिका मालिक के तौर पर निभानी होगी। वो खुद की जमीन पर उन्नत कृषि के सहारे लाखों का रोजगार कर सकते हैं। कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की योजनाएं किसानों को बेहतर अवसर प्रदान कर रही है। यह बातें राज्य की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिव्की ने रांची के बनहोरा जतरा मैदान में जिला स्तरीय कृषि कर्म शाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। बनहोरा मैदान में कृषि प्रदर्शनी के साथ-साथ विभाग की योजनाओं की जानकारी के लिए स्टॉल लगाए गए थे।

सरकारी विभागों में लॉ अफसरों की होगी नियुक्ति, प्रक्रिया शुरू

खबर मन्त्र ब्यूरो

रांची। राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों में विधि अफसरों की नियुक्ति करने का निर्णय लिया है। इसके लिए कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ने आवश्यक प्रक्रिया शुरू कर दी है।**क्यों पड़ी जरूरत :** वर्तमान में राज्य के 33 विभागों में विभाग स्तर पर कोई लॉ अफसर नहीं हैं। इन विभागों को विधि विभाग के माध्यम से विधिक परामर्श लेना पड़ता है।**क्या है केस की स्थिति :** लगभग 26 हजार से अधिक सर्विस मैटर

सभी आरोपों से मुक्त हुए झाप्रसे के पदाधिकारी विवेक सुमन

विवेक सुमन ने संभाला उप निर्वाचन पदाधिकारी का पद

रांची। झारखंड प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी विवेक सुमन पर जामा बीडीओ के पद पर रहते हुए गंभीर आरोप लगे थे। पंचायत स्तर के योजनाओं का प्रखंड स्तर के एफटीओ करने, बिना कार्य कराये कुल 9,73,500 रुपये की राशि पंचायत एवं प्रखंड से निकासी करने, मनरेगा एकट का उल्लंघन करने और भ्रष्टाचार में शामिल रहने जैसे सहित कई आरोप लगे थे। अब इन आरोपों से वो मुक्त हो चुके हैं। इस मद्देनजर कार्मिक विभाग की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गयी है। अधिसूचना में कहा गया है कि विभागीय जांच और विवेक सुमन की तरफ से दिए गए जवाबों के मद्देनजर उनपर किसी तरह के आरोप को सही नहीं पाया गया है। इसलिए उन्हें सभी आरोपों से मुक्त किया जाता है। साथ ही उन्हें 16 नवंबर 2023 से लंबित प्रमोशन भी दिया जाता है। आरोप मुक्त होते ही झाप्रसे पदाधिकरी विवेक सुमन अपने धारित पद यानी रांची के उप निर्वाचन पदाधिकारी के पद पर फिर से योगदान किया।

दुमका डीसी के आदेश पर हुई थी जांच : पूरे मामले पर दुमका उपायुक्त ने 24 मई 2018 को आरोप पत्र गठित कर कार्रवाई की अनुशंसा की थी। जांच हुई तो प्रथम दृष्टया आरोप प्रमाणित पाया गया, जिसके बाद विभागीय कार्यवाही चलाने का फैसला लिया गया। जांच में उन्हें आरोप मुक्त पाया गया। जिसके बाद उन्हें प्रमोशन मिला और उन्होंने पदभार ग्रहण किया।

अब अस्पताल शव को नहीं बना सकेगे बंधक, निर्देश जारी

रांची। झारखंड सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब अस्पताल किसी भी हालत में शव को बंधक नहीं बना पायेंगे। स्वास्थ्य विभाग ने सभी उपायुक्तों और सिविल सर्जनों को पत्र भेजकर केंद्र के इस निर्देश को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है।**क्या है नया नियम :** नये नियम के तहत, अस्पतालों में इलाज के दौरान मरीज की मृत्यु के बाद बिल का भुगतान नहीं होने पर भी शव नहीं रोका जा सकता है।**केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का निर्देश :** केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मरीजों की शिकायतों को सुलझाने एवं चिकित्सा सेवा को बेहतर बनाने के लिए एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत पेशेंट राइट एवं रेस्पॉर्सिबिलिटी चार्टर को लागू किया है।**क्या है गाइडलाइन :** अस्पतालों को मरीजों के शव को यथाशीघ्र और सम्मानपूर्वक ढंग से परिजनों को सौंपना होगा।



मंत्री शिल्पी ने कहा कि बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि आज लोग खेती बाड़ी के बजाय दूसरों के घर मजदूरी करना पसंद करते हैं। पहले जहां एक एकड़ में 25 हजार का मुनाफा किसानों को होता था, वही बदलते हुए तकनीक में उन्नत कृषि के साथ ये मुनाफा 1 लाख तक पहुंच गया है। इसके लिए सिर्फ सही फसल और कृषि की उन्नत विधि से किसानों को

लाख रुपए का ग्रांट दिया गया है। मंत्री ने कहा कि झारखंड के ग्रामीण शूकर पालन करते हैं, लेकिन उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि झारखंड के शूकर की मांग पूरे देश भर में है। शूकर पालन के जरिए बेहतर मुनाफा और व्यापार किया जा सकता है।

वहीं पूर्व मंत्री बंधु तिव्की ने कहा कि आज आपके गांव-घर में कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग खुद योजनाओं की सौगात लेकर पहुंची है। गांव के किसान विभाग की योजनाओं से जुड़कर कृषि के क्षेत्र में अपने भविष्य को संवार सकते हैं। बंधु तिव्की ने कहा कि राज्य में अगर रोजगार के लिए पलायन से बचना है तो कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, सहकारिता से जुड़ना होगा। विभाग

जिला, अनुमंडल सहित स्वास्थ्य केंद्रों की जल्द बदलेगी सूरत, 120 करोड़ होंगे खर्च

खबर मन्त्र ब्यूरो

रांची। मुख्यमंत्री अस्पताल संचालन एवं रख-रखाव योजना के तहत राज्य के जिला, अनुमंडल सहित स्वास्थ्य केंद्रों की सूरत बदलेगी। वित्त वर्ष 2025-26 में स्वास्थ्य उपकेंद्र, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, अनुमंडल अस्पताल, जिला अस्पताल के भवनों के नियमित रख-रखाव, संचालन, प्रबंधन, मरम्मत में 120 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग ने

इसके लिए जिलों को राशि आवंटित कर दी है।

क्या होगा काम : मुख्यमंत्री अस्पताल संचालन एवं रख-रखाव योजना के तहत हॉस्पिटलों में भवन की मरम्मत और रंग-रोगन, चारहर दिवारी की मरम्मत व रंग-रोगन, विद्युत व्यवस्था, सेयरल की व्यवस्था, साफ-सफाई, मरीजों एवं उनके परिजनों के बैठने की व्यवस्था, दवा, चिकित्सीय मशीन एवं उपकरण, सेयर लाइट, रेफ्रिजरेटर, उपस्कर, शौचालय की उपलब्धता, अग्निशमन व्यवस्था, वृक्ष रोपण एवं बागवानी और अन्य

आवश्यक आकस्मिक कार्य किए जाएंगे।

21 जिला अस्पतालों को मिले 15.75 करोड़ : मुख्यमंत्री अस्पताल संचालन एवं रख-रखाव योजना के तहत 21 जिला अस्पतालों को 15.75 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। 12 अनुमंडल अस्पतालों को छह करोड़, 188 सीएचसी को 18.80 करोड़, 330 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को 16.50 करोड़ और 3148 आयुष्मान आरोग्य केंद्र व स्वास्थ्य उपकेंद्र को 42.95 करोड़ की राशि आवंटित की गई है।

मास्को में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेट ने भारतीय प्रवासियों से किया संवाद



रांची। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेट ने माॅस्को में भारतीय दूतावास में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुये। उन्होंने माॅस्को में रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों के साथ मुलाकात की और उनके साथ संवाद किया। रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार ने भारतीय प्रवासियों और दूतावास की ओर से राज्य मंत्री का स्वागत किया। कार्यक्रम में दूतावास के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भारतीय समुदाय के लगभग 120 प्रमुख सदस्यों ने भाग लिया। रक्षा राज्य मंत्री ने इस अवसर पर कहा कि भारत-रूस के बीच द्विपक्षीय संबंधों

को मजबूत करने में प्रवासियों की उपलब्धियों और योगदान की अहम भूमिका है। उन्होंने भारतीय समुदाय से 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की यात्रा में सक्रिय रूप से भाग लेने का आह्वान किया। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में प्रवासी भारतीयों की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी जोर दिया गया। सेट ने कहा कि भारतीय जहां भी रहते हैं, वो अपने सत्य कर्मों से जाने जाते हैं। उनका जन्म भले ही हिंदुस्तान में हुआ हो, लेकिन उनकी कर्मभूमि जहां होती है, वहां वह सत्य और निष्ठा से अपने कार्यों को करते हैं। यही भारतीयों की पहचान है।

प्रशिक्षण पर जायेंगे शशिरंजन व अंजलि

रांची। झारखंड कैडर के दो आईएएस शशिरंजन और अंजलि यादव लगभग एक महीने की ट्रेनिंग पर जाएंगे। यह ट्रेनिंग 12 मई से 6 जून 2025 तक चलेगी। दोनों अफसर 2013 बैच के हैं। शशिरंजन निदेशक शिक्षा परियोजना और अंजलि यादव निदेशक पर्यटन के पद पर पदस्थापित हैं।

आरयू, डीएसपीएमयू, जेएसओयू और वीमेंस यूनिवर्सिटी को चाहिये कुलपति

रांची। राजभवन सचिवालय ने रांची यूनिवर्सिटी, वीमेंस यूनिवर्सिटी (जमशेदपुर), डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी (डीएसपीएमयू) और झारखंड स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर (वीसी) के पद के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन

आमंत्रित किये हैं। इसके लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है। वीसी पद पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को एकेडमिक और प्रशासनिक रूप से योग्य होना आवश्यक है। आवेदन करने के लिए निर्धारित वेबसाइट या चांसलर पोर्टल की मदद ली जा सकती है।

देश के लिए मर मिटने वाले जवानों को किया जा रहा है अपमानित : बाबूलाल

खबर मन्त्र ब्यूरो

रांची। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि जहां एक ओर पूरे देश में सैनिकों के सम्मान में फूल बरसाए जा रहे हैं, उनकी वीरता और शौर्य की गाथाएं सुनाई जा रही हैं, लोग उन्हें गर्व से सलाम कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर झारखंड में राज्य सरकार के संरक्षण में असामाजिक तत्व वीर शहीद जवान राजकुमार महतो की मूर्ति को तोड़ना जा रहा है। देश के लिए मर मिटने वाले जवानों को अपमानित किया जा रहा है।

सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि जब देश अपनी सीमाओं पर



पाकिस्तान की नापाक हरकतों से जुड़ा रहा है, जब हमारे सैनिक अपनी जान की परवाह किए बिना देश की रक्षा के लिए कोई और कसर नहीं छोड़ रहे हैं, तब झारखंड में कुछ जयचंद किस्म के लोग इस देश की नींव को कमजोर करने पर तुले हुए हैं। हमारे शहीदों ने अपनी जान को दांव पर लगाकर, हमारे देश को बचाने का कर्ज चुकाया है। ऐसे कार्यों और गद्दारों को यह समझना होगा कि जो शहीदों के अपमान में शामिल हैं, वे देश के हर नागरिक की आत्मा पर

चोट कर रहे हैं, वे भारत पर चोट कर रहे हैं।

उन्होंने पूछा कि जो हर झारखंड और देशवासियों के मन में है कि कौन हैं वे लोग, जिनकी आंखों में हमारे शहीदों की वीरता चुभ रही है? कौन हैं वे लोग, जो देश की धरती पर पलकर, उसी की शान के खिलाफ काम कर रहे हैं और पाकिस्तानियों की तरह हरकतें कर रहे हैं? चूंकि वह सिर्फ एक परिवार की नहीं, पूरे राष्ट्र की भावनाओं से जुड़ा मामला है, इसलिए प्रशासन दोधियों को अविलंब गिरफ्तार कर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करे।

झारखंड ऊर्जा विकास निगम में नयी नियमावली की तैयारी

खबर मन्त्र ब्यूरो

रांची। झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड और इसके अनुषंगी निगमों के कर्मियों के लिए संशोधित संवर्ग नियमावली 2025 बनाई जा रही है।**आपत्ति और सुझाव आमंत्रित :** निगम के जीएम (कार्मिक) ने बताया कि संवर्ग नियमावली का ड्राफ्ट निगम की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। पदाधिकारियों और कर्मचारियों से आपत्ति और सुझाव आमंत्रित किए गए हैं।**17 मई तक आपत्ति दर्ज करने का**

समय : आपत्ति दर्ज करने के लिए 17 मई तक का समय दिया गया है। आपत्ति से संबंधित स्पष्ट बिंदुवार साक्ष्य और दस्तावेज के साथ कंट्रोलिंग अफसर को सूचित करना होगा। ई-मेल के जरिए भी आपत्ति दर्ज की जा सकती है।**नियमावली का उद्देश्य :** नयी नियमावली का उद्देश्य निगम के कर्मियों के लिए स्पष्ट और पारदर्शी नियम प्रदान करना है। इससे निगम के कामकाज में सुधार होगा और कर्मियों के अधिकारों और जिम्मेदारियों को स्पष्ट किया जा सकेगा।

झारखंड में पानी की समस्या होगी दूर

खराब चापानल होंगे दुरुस्त

रांची। राज्य सरकार ने राज्य में पानी की समस्या को दूर करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने जिला योजना अनाबद्ध की राशि से बंद पड़े चापानलों की मरम्मत कराने का निर्णय लिया है।



259 करोड़ रुपये किए गए आवंटित राज्य के विभिन्न जिलों के लिए जिला योजना अनाबद्ध की 259 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। आवंटित राशि का कम से कम 15% हिस्सा पानी की समस्या से संबंधित योजनाओं पर खर्च किया जाएगा।

क्या है सरकार का लक्ष्य

सरकार का लक्ष्य है कि बंद पड़े चापानलों की मरम्मत करकर पानी की समस्या को दूर किया जाए। राज्य में लगभग 74,500 चापानल बंद पड़े हैं, जिन्हें जल्द से जल्द ठीक करने का लक्ष्य है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सभी जिलों के उपायुक्तों को बंद पड़े चापानलों की मरम्मत कराने का निर्देश दिया है। वित्त मंत्री ने कहा है कि वे खुद जिला योजना अनाबद्ध की राशि के उपयोग की निगरानी करेंगे।

राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

सिविल कोर्ट में लंबित 34666 मामले और प्री-लिटिगेशन के 293638 वाद हुए निष्पादित



आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल लंबित 34666 मामले तथा प्री-लिटिगेशन के 293638 वादों का निस्तारण किया गया । साथ ही 1,39,59,20,987 राशि का सेटलमेंट हुआ।

कार्यक्रम के दौरान लोक अदालत अदालत वादकारियों के लिए सुलभ व नि:शुल्क न्याय पाने का एक माध्यम है। रांची सिविल कोर्ट में

मदेश्वर पांडे को 98,87,965 रुपए के चेक का वितरण किया। पीड़ित मुआवजा के रूप में न्यायायुक्त ने रानी देवी को 5,00,000 रुपए का चेक प्रदान किये। न्यायायुक्त ने दिव्यांगजनों, जिनमें सोनु गोप, वशीम खान को व्हील चेयर का वितरण भी किया इसके अलावा अन्य न्यायिक पदाधिकारियों के द्वारा झारखण्ड पीडित मुआवजा के तौर पर

कुल 25 पीडितों के बीच 68,00,000 रुपए चेक का वितरण भी किया गया। साथ ही वाहन दुर्घटना मुआवजा में न्यायिक पदाधिकारियों के द्वारा पीडितों के बीच 73,55,851 राशि के चेकों का वितरण किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन के लिए न्यायिक दण्डाधिकारियों के लिए 39 बेंच एवं कार्यपालक दण्डाधिकारियों के लिए 19 बेंच का गठन किया गया था।इस अवसर पर प्रिंसिपल जज फैमिल कोर्ट एसएस फातमी, एजेसी-15 अमित शेखर, एजेसी -2, यशवंत प्रकाश, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, चंदन, रांची जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष शम्भू प्रसाद अग्रवाल, महासचिव संजय कुमार विद्गोही आदि थे।



